



संकाय सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अवकाश अनुदान अवकाश यात्रा रियायत हेतु आवेदन पत्र

APPLICATION FORM FOR GRANT OF LEAVE/LEAVE TRAVEL CONCESSION  
FOR THE FACULTY MEMBERS/OFFICERS/EMPLOYEES AT THE AIIMS, RAIPUR

01.	संकाय सदस्य/अधिकारी/कर्मचारी का नाम Name of faculty member/Officer/Employee			
02.	पदनाम एवं विभाग Designation & Department			
03.	दिन एवं अवकाश अवधि (यदि अधिकारी के स्वयं का एलटीसी चाहें हो तो) No. of days & period of the leave required (in the case of the officer himself/herself wants to avail LTC)			
04.	अवकाश की प्रकृति (आकस्मिक/अर्जित/ग्रीष्म/शीतकालीन अवकाश) Nature of leave required (Casual leave/Earned leave/Summer/Winter Vacation etc.)			
05.	क्या एलटीसी गृह शहर अथवा भारत में कहीं भी जाने के लिए है। (स्थान नाम चिन्हांकित करें, एवं खण्ड वर्ष भरें) Whether LTC is required to visit Home-Town or within India (Name of the place be indicated) by indicating the Block Year.			
06.	क्या एलटीसी स्वयं/पारिवारिक सदस्य हेतु अपेक्षित है (आवेदनकर्ता स्वयं निर्दिष्ट करें)। यदि आवेदक के पति/पत्नी शासकीय संस्था में हैं, तो संस्था से शपथ पत्र कि उनके द्वारा खंड वर्ष के लिए अवकाश यात्रा रियायत नहीं लिया गया है। यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो पति/पत्नी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना है कि उनके द्वारा एलटीसी नहीं लिया गया है। Whether LTC is required for self/family members (Name of the applying person be indicated. If his/her spouse works in Government offices a certificate from the employer of spouse is required that he/she has not availed LTC for the block year so requested. If the certificate is not available, then the applying person should certify that his/her spouse has not availed LTC for the Block Year so, requested.	नाम Name	उम्र Age	संबंध Relationship
07.	उक्त अनुसार प्रमाण पत्र की आवश्यकता जिसमें आवेदक के पारिवारिक सदस्य यथा माता, पिता, पुत्र, पुत्री हैं जो उनपर निर्भर है और उनकी कुल मासिक आय रु. 9000/- (जिसमें पेंशन व अन्य सहित) से अधिक न हो। और उनके द्वारा खण्ड वर्ष में एलटीसी नहीं लिया गया है। Similarly a certificate is required that his/her other family members e.g. Mother/Father/Son & Daughter etc. are dependent and the total income does, not exceed more than of Rs. 9000/- per month including stipend or pension, temporary, increase in pension but excluding Dearness Relief on him/her and they have not availed LTC for the Block Year so required.			
08.	क्या अर्जित अवकाश को भुनाया गया। यदि हां, तो कितने दिन, कुपया उल्लेख करें। Whether encashment of Earned Leave is required. If yes, specify no. of days.			

नोट- ससुराल पक्ष के रिश्तेदार एल.टी.सी. हेतु एलटीसी नियमों के अनुसार पात्र नहीं है। Note- The In-Laws are not entitled to LTC according to LTC Rules.

दिनांक Dated -

(संकाय सदस्य के हस्ताक्षर)

Signature of the Faculty Member

अनुशंसा/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर Recommendations/remarks of Head of the Department